न्यायालयः–डी.पी.सूत्रकार, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट,(एम.पी. / एम.एल.ए. न्यायालय) जबलपुर, म.प्र.

Registration No.	SC PPM/13/2023
Filling No.	18273/2023
CNR No.	MP2001-024225-2023
Filling Date	03-07-2023

आरक्षी केंद्र–मझौली, जबलपुर (म.प्र.) के अप.क.–302 / 2019 अंतर्गत धारा–171ई एवं 188 भा0दं0सं0 1860 से उद्‌भूत प्रकरण।

म0प्र0 राज्य आरक्षी केंद्र मझौली
जबलपुर (म.प्र.) **.......अभियोजन**

प्रतिनिधित्व द्वारा विशेष लोक अभियोजक श्री अभिषेक दीक्षित

विरूद्ध

1. कुंवर सिंह पिता धीरसाह सिंह टेकाम, आयु लगभग 62 वर्ष, वर्तमान विधायक धौहनी, जिला–सीधी
निवासी–कोटमा कुसमी, सीधी(म.प्र.)।

.......अभियुक्त

प्रतिनिधित्व द्वारा श्री विकास मिश्रा अधिवक्ता।

अपराध की तारीख	23.04.2019
प्र.सू.रि. की तारीख	26.04.2019
आरोप पत्र की तारीख	22.06.2023
आरोपों के विरचना की तारीख	11.03.2024
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	13.08.2024

निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	—
निर्णय की तारीख	19.12.2025
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तारीख	—

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दण्डादेश	धारा—428 दं0प्र0सं के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
01.	कुंवर सिंह	नोटिस द्वारा सूचना प्राप्त	न्यायालय से नियमित जमानत	धारा— 171ई, एवं 188 भा.दं.सं.	दोषमुक्त	—	निरंक

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन

अभियोजन साक्षी क0	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
01	नीरज कुमार चौधरी	शिकायतकर्ता
02	बृजमोहन साहू	स्वतंत्र साक्षी
03	दिलीप कुमार दीपांकर	अनुसंधान साक्षी
04	सरोज साहू	स्वतंत्र साक्षी
05	आर.के. शुक्ला	अनुसंधान साक्षी

06	प्रदीप सिंह उर्फ दीपू	शिकायतकर्ता
07	रोशनी सिंह ठाकुर	अनुसंधान साक्षी

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई होः–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (साक्षी)
01	कोई नहीं।	कुछ नहीं।

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई होः–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (साक्षी)
01	कोई नहीं।	कुछ नहीं।

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजन

क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	प्र0पी01/अ0सा0–1	प्रथम सूचना रिपोर्ट
02	प्र0पी02/अ0सा0–1	पुलिस कथन
03	प्र0पी03/अ0सा0–2	मौका नक्शा
04	प्र0पी04/अ0सा0–2	पुलिस कथन
05	प्र0पी05/अ0सा0–3	जप्ती पत्रक
06	प्र0पी06/अ0सा0–3	फोटोग्राफ
07	प्र0पी07/अ0सा0–3	65बी का प्रमाण पत्र
08	प्र0पी08/अ0सा0–3	65बी का प्रमाण पत्र
09	प्र0पी09/अ0सा0–3	ट्रांसक्रिप्ट पंचनामा
10	प्र0पी10/अ0सा0–3	नोटिस
11	प्र0पी11/अ0सा0–3	प्रतिवेदन

12	प्र0पी12 / अ0सा0—4	पुलिस कथन
13	प्र0पी13 / अ0सा0—5	जप्ती पत्रक
14	प्र0पी14 / अ0सा0—5	लिखित आवेदन
15	प्र0पी15 / अ0सा0—7	नोटिफिकेशन की सत्यापित प्रतिलिपि
16	प्र0पी16 / अ0सा0—7	437 / 6 / 2009 की सत्यापित प्रतिलिपि
17	प्र0पी17 / अ0सा0—7	निर्वाचन आयोग द्वारा जारी शेड्यूल
18	प्र0पी18 / अ0सा0—7	आदर्श आचार संहिता के संबंध में जारी पत्र
19	प्र0पी19 / अ0सा0—7	आचार संहिता लागू होने संबंधी पत्र
20	प्र0पी20 / अ0सा0—7	परिवाद प्रस्तुत करने हेतु किया गया पत्राचार
21	प्र0पी21 / अ0सा0—7	परिवाद पत्र

ख. प्रतिरक्षा

क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	कुछ नहीं	कुछ नहीं

ग. न्यायालयीन प्रदर्शः— कुछ नहीं।

क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	एम.ओ.—1	डी.व्ही.डी.
02	एम.ओ.—2	डी.व्ही.डी.

घ. आवश्यक वस्तुएंः— कुछ नहीं।

क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	कुछ नहीं।	कुछ नहीं।

/ / निर्णय / /
(आज दिनांक 19.12.2025 को घोषित)

01— अभियुक्त को भा.दं.सं. की धारा 171ई एवं 188 के अभियोग के अंतर्गत अभियोजित एवं विचारित किया गया है।

02– अभियोजन कहानी संक्षेप में यह है कि नीरज कुमार भृत्य तहसील कार्यालय मंझौली द्वारा दिनांक 26.04.2019 का एक लिखित आवेदन दिनांक 25.04.2019 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर लोकसभा संसदीय क्षेत्र 11 सीधी एवं उपखण्ड अधिकारी मंझौली जिला–सीधी म.प्र. का हस्ताक्षर सहित पेश किया, जिस पर विधानसभा क्षेत्र 82 धौहनी के विधायक कुंवर सिंह टेकाम के द्वारा ग्राम पंचायत धनौली के नुक्कड़ सभा में पांच हैण्डपम्प लगाने की घोषणा करने के कारण आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पाए जाने के कारण धारा 188, 171 ई अपराध क. 302/19, की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान व्ही.एस.टी. प्रभारी दिलीप कुमार राजस्व निरीक्षक मंझौली से पूछताछ कर कथन लिए, जिसने यह कथन किया कि दिनांक 23.04.2019 को ग्राम धनौली में सरोज साहू के घर के पास धौहनी क्षेत्र के विधायक कुंवर सिंह टेकाम द्वारा लोकसभा चुनाव का प्रचार–प्रसार हेतु नुक्कड़ आमसभा आयोजित की गई थी, आमसभा में अपनी ड्यूटी पर तैनात होकर निर्वाचन अधिकारी के निर्देश के पालन में आमसभा को कवर करने के लिए प्रदाय किए गए सरकारी कैमरे की बैटरी डिस्चार्ज हो जाने के कारण उसने अपने स्वयं के एम.आई. कंपनी के मोबाइल से वीडियो बनाया था और उक्त वीडियो की सी.डी. तैयार कर निर्वाचन कार्यालय मंझौली में जमा किया था। जिसका 65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया, उक्त मोबाइल का फॉरेन्सिक जांच कराने हेतु व्ही.एस.टी. प्रभारी द्वारा मोबाइल चाहा गया, उक्त मोबाइल टूट जाने से फेंक दिया था, जिससे मोबाइल की जप्ती न होने से फॉरेन्सिक जांच नहीं कराई जा सकी। विवेचना के उपरांत मामले में जिला अभियोजन अधिकारी सीधी से अभिमत चाहा गया, जिनके द्वारा लेख किया गया कि मामले से संबंधित वीडियो मोबाइल से बनाया गया था, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक प्राथमिक साक्ष्य के रूप में था, जिसकी जप्ती नहीं की जा सकी, जिससे वीडियो सी.डी. की सत्यता प्रमाणित करने बाबत् पर्याप्त साक्ष्य का अभाव है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जिला अभियोजन अधिकारी की राय के अनुसार मामले में पर्याप्त साक्ष्य का अभाव होने से मामले में खात्मा लेख करने की अनुमति प्रदान की गई, उक्त अपराध में पर्याप्त साक्ष्य का अभाव होने के कारण खात्मा कमांक 08/23 दिनांक 22.06.2023 तैयार किया जाकर खात्मा स्वीकृति हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03– दिनांक 03.07.2023 को मंझौली के सहायक उपनिरीक्षक दीपक बघेल ने उक्त अपराध कमांक 302/19, धारा 188, 171 ई भा.दं.सं. की खात्मा

रिपोर्ट मंजूर किए जाने हेतु प्रस्तुत की। दिनांक 07.10.2023 को पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त कुंवर सिंह टेकाम के विरूद्ध प्रस्तुत खात्मा अस्वीकृत करते हुए संज्ञान लिया गया।

04— अभियुक्त ने प्रथम कंडिका में वर्णित अपराध के अभियोग को अस्वीकार किया है, अभियुक्त का द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत परीक्षण किया गया, जिसमें उसके द्वारा व्यक्त किया गया कि सी.डी. में छेड़छाड़ की गई है, आवाज उसकी नहीं है, उसने हैण्डपम्प लगाने की घोषणा नहीं की, भाजपा विधायक होने से उसे झूठा फंसाया गया है। प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य न देना प्रकट किया गया।

05— **अवधार्य प्रश्न—**

01. क्या अभियुक्त ने दिनांक 23.04.2019, रात्रि 08:15 पी.एम. से 08:20 पी.एम. के मध्य ग्राम पंचायत धौहनी, जिला—सीधी में आदर्श आचरण संहिता लागू होते हुए भी उक्त निर्वाचन क्षेत्र में पांच हैण्डपंप लगवाए जाने का आश्वासन दिया, जो रिश्वत के अंतर्गत समाविष्ट है?

02. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सीधी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश दिनांकित 10.03.2019 के लागू होते हुए आमसभा का आयोजन कर उक्त आदेश का उल्लंघन किया?

—::विनिश्चय एवं विनिश्चय के आधार::—

अवधारणीय प्रश्न क. 1 व 2 का निराकरण:—

06— उक्त दोनों अवधारणीय प्रश्न एक ही विषयवस्तु से संबंधित होने के कारण साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु सुविधा की दृष्टि से उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

07— प्रकरण के निराकरण हेतु साक्ष्य की विवेचना के पूर्व प्रकरण की पूर्ववर्ती परिस्थितियों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। यह प्रकरण रिटर्निंग ऑफिसर लोकसभा संसदीय क्षेत्र 11 सीधी एवं उपखण्ड अधिकारी मंझौली जिला—सीधी के आवेदन दिनांक 25.04.2019 के लिखित आवेदन के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 26.04.2019, अपराध क. 302/19 से उद्भूत हुआ है, उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 188, 171 ई भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अपराध में दर्ज की गई और उसके पश्चात् कोई अपराध पुलिस द्वारा गठित न

पाए जाने से खात्मा पूर्व विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दिनांक 03.07.2023 को प्रस्तुत किया गया और दिनांक 07.10.2023 को धारा 188, 171ई में खात्मा अस्वीकृत करते हुए संज्ञान लिया गया। दिनांक 24.11.2023 को प्रकरण जब आरोप तर्क हेतु नियत था तब पूर्व पीठासीन अधिकारी ने सक्षम लोकसेवक पर लिखित परिवाद प्रस्तुत न होने के कारण आरक्षी केन्द्र के प्रभारी अधिकारी को इस निर्देश के साथ आदेश पत्रिका प्रेषित की थी कि प्रकरण में संबंधित लोकसेवक जिसके आदेश का उल्लंघन अभियुक्त द्वारा किया जाना अभिकथित है, का न्यायालय को संबोधित परिवाद पत्र न्यायालय की ओर अविलंब प्रेषित करें, जिससे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के संदर्भ में धारा 195 दण्ड प्रक्रिया संहिता का अनुपालन सुनिश्चित हो सके, इसके पश्चात् न्यायालय के उक्त निर्देश के बाद दिनांक 29.01.2024 को कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला सीधी का परिवाद पत्र प्र.पी.21 इस न्यायालय को अभियुक्त के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के तहत् पंजीबद्ध प्रकरण में परिवाद पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया, इसके पश्चात् दिनांक 11.03.2024 को पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा आरोप विरचित किए गए।

08— मामले में मुख्य शिकायतकर्ता प्रदीप सिंह उर्फ दीपू(अ.सा.06) है, जिसका कथन है कि वह अभियुक्त कुंवरसिंह टेकाम जो कि भाजपा विधायक हैं, को लगभग 2003 से जानता है, घटना दिनांक 23.04.2019 को मंझौली ब्लॉक के धनौली गांव में छोटेलाल साहू के घर के पास रात्रि लगभग 08:45 बजे की है, वह कांग्रेस पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव में प्रचार का काम कर रहा था, तभी उसने घटना स्थल पर देखा कि भाजपा प्रत्याशी श्रीमती रीति पाठक के पक्ष में विधायक कुंवरसिंह टेकाम आमसभा कर रहे थे और आमसभा में वह पब्लिक से बोले कि भाजपा को आप लोग वोट दीजिए, वह आपके गांव में विधायक निधि से पांच हैण्डपम्प लगवा देंगे, लोकसभा चुनाव की आचार संहिता प्रभावशील थी और जब इस तरह से उनकी घोषणा उसने सुनी तो उसने कार्यक्रम का वीडियो मोबाइल से बनाया और दूसरे दिन सी.डी. सहित आवेदन पत्र कार्यवाही हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया और कार्यवाही की मांग की, उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया उक्त आवेदन प्र.पी.14 है, जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने मोबाइल पुलिस के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया, न ही जप्त हुआ, जबकि वह प्राथमिक साक्ष्य था, उक्त शिकायतकर्ता ने कोई परिवाद प्रस्तुत नहीं किया।

09– घटना के समय राजस्व निरीक्षक ग्राम धनौली तहसील मंझौली, जिला सीधी में पदस्थ दिलीप कुमार दीपांकर(अ.सा.03) ने यह व्यक्त किया है कि दिनांक 23.04.2019 को वह राजस्व निरीक्षक के पद पर पदस्थ था उस समय आम निर्वाचन 2019 चल रहा था और लोकसभा चुनाव की नुक्कड़ सभा कुंवरसिंह टेकाम द्वारा धनौली में आयोजित की गई थी, जिसमें उसकी कार्यक्रम की वीडियोग्राफी हेतु विशेष ड्यूटी लगी हुई थी, उक्त दिनांक को शाम लगभग 08:00 बजे ग्राम धनौली में सरोज साहू के घर के पास सभा आयोजित की गई थी, सभा में कुंवर सिंह टेकाम द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पांच हैण्डपम्प धनौली गांव में लगवाने हेतु घोषणा की गई थी, जिसकी रिकॉर्डिंग उसने स्वयं के मोबाइल से की थी, उक्त रिकॉर्डिंग को उसके द्वारा सी.डी. एवं डी.व्ही.डी. तैयार कर मय प्रतिवेदन एवं घटना स्थल का फोटोग्राफ रिटर्निंग ऑफिसर एस.डी.एम. मंझौली के पास जमा किया था तथा उसकी एक प्रति थाना मंझौली में जप्त कराई थी, जप्ती पत्रक प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, उसकी द्वारा दी गई फोटो जिसमें कुंवरसिंह टेकाम भाषण देते हुए दर्शित हो रहे हैं। जिस पर दिनांक 23.04.2019 समय 08:00 बजे से 08:45 बजे अंकित है, उक्त फोटोग्राफ प्र.पी.06 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, तथा उसके द्वारा जप्त कराई गई एक नग सी.डी. जो प्रकरण में संलग्न हैं, के संबंध में धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र दिया गया था, जो प्र.पी.07 व 08 हैं, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, पुलिस वालों ने उसके द्वारा तैयार की गई सी.डी. का ट्रांसक्रिप्ट पंचनामा तैयार किया था, जिसमें यह उल्लेखित है कि ''अब आपकी समस्याओं के निदान की बारी आई है पहली समस्या बताए हैं, यहां सरोज साहू जी पानी का लेकिन वह 10 हैण्डपंप मांगे हैं, 10 हैण्डपंप नहीं लेकिन <u>मैं 5 हैण्डपंप देने की घोषणा करता हूं</u>, मैं अपने विधायक निधि से भी वो हैण्डपम्प करवाएंगे, आप सूची बना दीजिए'', उक्त ट्रांसक्रिप्ट पंचनामा प्र.पी.09 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। न्यायालय के समक्ष भी डी.व्ही.डी. प्ले की गई थी, जिसमें यह पाया गया था कि 13वें सेकण्ड से 20 सेकण्ड के मध्य विधायक/अभियुक्त कुंवर सिंह टेकाम द्वारा पांच हैण्डपम्प स्वयं की विधायक निधि से दिए जाने की घोषणा की जा रही है, तदुपरांत उक्त डी.व्ही.डी. को एम.ओ.–1 एवं एम.ओ.–2 से प्रदर्शित किया गया।

10– अभियोजन के अनुसार जिसके घर के पास सभा आयोजित हुई थी, सरोज साहू(अ.सा.04) ने अपने कथन में व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत धनौली में विधायक कुंवर सिंह टेकाम द्वारा सभा आयोजित की गई थी, उन्होंने क्षेत्र के

विकास की बात की थी और कहा था कि आमजन की जो भी समस्याएं हैं उनको जीतने के बाद पूरा किया जाएगा और अन्य समस्याएं पूरी करने का प्रयास किया जाएगा, घटना दिनांक 23.04.2019 की लोकसभा चुनाव के समय की थी, इस समय आम सभा हुई थी, उस समय आदर्श आचरण संहिता भी लागू थी। बृजमोहन साहू(अ.सा.02) ने घटना के संबंध में कोई जानकारी न होना बताया।

11– दिनांक 26.04.2019 को तहसील कार्यालय मंझौली में भृत्य के पद पर पदस्थ नीरज कुमार चौधरी(अ.सा.01) ने व्यक्त किया कि, उक्त दिनांक को कार्यालय में पदस्थ बाबू के द्वारा एक डाक बंद लिफाफे में दी गई थी, जो उसने थाना–मंझौली में दी थी, जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 लेखबद्ध की गई थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

12– दिनांक 20.10.2020 को जिला–सीधी के अनुविभाग कुसमी में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के पद पर पदस्थ आर.के. शुक्ला(अ.सा.05) ने अपने कथन में व्यक्त किया कि, उक्त दिनांक को पुलिस अधीक्षक के लिखित आदेशानुसार प्रकरण की विवेचना की थी और दिनांक 24.11.2020 को जिला निर्वाचन कार्यालय सीधी में मूल शिकायतकर्ता बृजमोहन वर्मा के द्वारा प्रस्तुत करने पर एक लिखित आवेदन प्रदीप सिंह दीपू का तथा एक नग सी.डी. प्रस्तुत करने पर स्वतंत्र साक्षी हितेश सिंह चौहान व भैय्यालाल केवट के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.13 की कार्यवाही की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, जप्तशुदा उक्त लिखित आवेदन प्र.पी.14 है, शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत सी.डी. एम. ओ.–1 है।

13– दिनांक 14.05.2022 को अनुविभागीय पुलिस अधिकारी कुसमी जिला सीधी के पद पर पदस्थ रोशनी सिंह ठाकुर(अ.सा.07) ने अपने न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया कि, पदस्थापना के दौरान थाना मंझौली के अपराध क्र. 302/19 धारा 171ई, 188 भारतीय दण्ड संहिता की डायरी अग्रिम विवेचना हेतु कार्यालय से प्राप्त हुई, विवेचना के दौरान उसने कार्यालय उपजिला निर्वाचन अधिकारी जिला–सीधी से सन् 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के संबंध में भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 06.10.2018 की सत्यापित प्रतिलिपि प्र.पी.15 तथा दिनांक 05.03.2009 की सत्यापित प्रतिलिपि प्र.पी.16 इंटरनेट से जनरल इलेक्शन के संबंध में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी शेड्यूल प्राप्त किया था, जो 57 पन्नों में प्र.पी.17 है, कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. के कार्यालय से जारी पत्र दिनांक 10.03.2019 जो आचार संहिता

के संबंध में था, भी प्राप्त किया था, जिसकी सत्यापित प्रतिलिपि प्र.पी.18 है, कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट सीधी से जिला सीधी में निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने संबंधी पत्र दिनांक 10.03.2019 की सत्यापित प्रतिलिपि प्र.पी.19 प्राप्त की थी, जिसमें यह स्पष्टतः लेख है कि आचार संहिता दिनांक 10.03.2019 से 27.03.2019 की रात्रि 12:00 बजे तक प्रभावशील रहेगी, दिनांक 18.06.2023 को दिलीप कुमार दीपांकर राजस्व निरीक्षक सिंहावल तत्कालीन राजस्व निरीक्षक मंझौली से जप्तशुदा सी.डी. की ट्रांसक्रिप्ट पंचनामा तैयार किया था, जो प्र.पी.09 है, कार्यालय कलेक्टर जिला दण्डाधिकारी जिला–सीधी म.प्र. का दिनांक 29.01.2024 को परिवाद प्रस्तुत किया गया, जो प्र.पी.21 है।

14– भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ई में रिश्वत की परिभाषा उल्लेखित है, जिसके अनुसारः–

(1) जो कोई––

ण किसी व्यक्ति को इस उद्‌देश्य से परितोषण देता है कि वह उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किसी निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करे या किसी व्यक्ति को इसलिए ईनाम दे कि उसने ऐसे अधिकार का प्रयोग किया अथवा

णण स्वयं अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई परितोषण ऐसे किसी अधिकार को प्रयोग में लाने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे किसी अधिकार को प्रयोग में लाने के लिए उत्प्रेरित करने या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करने के लिए इनाम के रूप में प्रतिग्रहित करता है,

वह रिश्वत का अपराध करता है :

परन्तु लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन इस धारा के अधीन अपराध न होगा।

(2) जो व्यक्ति परितोषण देने की प्रस्थापना करता है या देने को सहमत होता है या उपाप्त करने की प्रस्थापना या प्रयत्न करता है, यह समझा जाएगा कि वह परितोषण देता है।

(3) जो व्यक्ति परितोषण अभिप्राप्त करता है या प्रतिग्रहित करने को सहमत होता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है यह समझा जाएगा कि वह परितोषण प्रतिग्रहित करता है और जो व्यक्ति वह बात करने के लिए जिसे करने

का उसका आशय नहीं है, हेतुक स्वरूप या जो बात उसने नहीं की है, उसे करने के लिए ईनाम के रूप में परितोषण प्रतिग्रहित करता है, यह समझा जाएगा कि उसने परितोषण को ईनाम के रूप में प्रतिग्रहित किया है।

15– अभिलेख में संलग्न भारतीय निर्वाचन आयोग की उद्घोषणा दिनांक 06.10.2018 की कण्डिका 03 के अंतर्गत– From the time elections are announced by the Commission, Ministers and other authorities shall not -

(a) ....
(b) ....
(c) make any promise of contruction of roads, provision of drinking water facilities etc; or

अर्थात् चुनाव की उद्घोषणा होने के उपरांत कमीशन मंत्री या किसी भी अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसी कोई उद्घोषणा नहीं की जाएगी, जिसके द्वारा सड़क का निर्माण कार्य पेयजल की सुविधा इत्यादि का वचन दिया गया हो। घटना दिनांक को अभियुक्त द्वारा ग्राम धनौली में चुनाव अधिसूचना लागू होने के उपरांत पांच हैण्डपम्प लगाए जाने का वचन दिया जाना अभिकथित है, जिसके संबंध में मोबाइल में संधारित वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट पंचनामा उक्त पंचनामा के संदर्भ में सुसंगत व्यक्ति का धारा 65बी का प्रमाण पत्र प्रकरण में संलग्न है।

16– दिनांक 03.07.2023 को थाना मंझौली के अपराध क्र. 302/19 में धारा 188, 171ई भारतीय दण्ड संहिता के तहत् खात्मा रिपोर्ट मंजूर किए जाने हेतु आवेदन पेश किया गया था। उक्त खात्मा रिपोर्ट को अस्वीकृत करते हुए न्यायालय द्वारा दिनांक 07.10.2023 को संज्ञान लिया गया है, धारा 171ई का अपराध असंज्ञेय अपराध है, जिसमें लिखित परिवाद पर ही संज्ञान लिया जा सकता है, इसी तरह धारा 188 में भी लोकसेवक का लिखित परिवाद आवश्यक है जबकि जब दिनांक 07.10.2023 को संज्ञान लिया गया, उस समय लिखित परिवाद प्रस्तुत नहीं किया गया था और बिना परिवाद के ही संज्ञान लिया गया है, परिवाद संज्ञान के लगभग 4 माह पश्चात् दिनांक 29.01.2024 को प्रस्तुत किया गया, जिस कारण संज्ञान दूषित है, इसके अतिरिक्त परिवाद कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला–सीधी का परिवाद संज्ञान के पश्चात् प्रस्तुत किया गया परन्तु परिवादी या उसके हस्ताक्षर पहचानने वाले साक्षी का भी परीक्षण नहीं हुआ।

17— इसके अतिरिक्त अभियोजन द्वारा प्रकरण वापसी हेतु आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 321/258 दण्ड प्रक्रिया संहिता का इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उक्त प्रकरण के संबंध में लोक अभियोजन संचालनालय म.प्र. भोपाल के आदेश दिनांक 17.07.2025 के माध्यम से राज्य शासन द्वारा धारा 321 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत् लोकहित में प्रत्याहृत किए जाने का निर्णय लेने एवं भारसाधक लोक अभियोजक को उक्त प्रकरण की वापसी हेतु नियमानुसार समुचित कार्यवाही का परामर्श प्रदान करने हेतु जिला दण्डाधिकारी जबलपुर को पत्र प्रेषित किया है, जिसके पालन में संबंधित अपर जिला मजिस्ट्रेट जबलपुर द्वारा कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट जबलपुर के पत्र दिनांक 30.07.2025 के माध्यम से जिला लोक अभियोजन अधिकारी जबलपुर को पत्र प्रेषित कर उक्त प्रकरण की वापसी के संबंध में नियमानुसार संचालक लोक अभियोजन एवं कार्यालय को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया है। सहायक लोक अभियोजन अधिकारी श्री अभिषेक दीक्षित द्वारा दिनांक 28.08.2025 को धारा 321 दं.प्र.सं. का आवेदन अभियोजन के स्वतंत्र राय के अधीन अच्छे विश्वास, न्याय एवं साधमिक नीति के रूप में एवं लोकहित में पेश किया गया और आवेदन पत्र स्वीकार कर प्रकरण को वापस लिए जाने का भी निवेदन किया था।

18— धारा 195(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रावधान है कि कोई न्यायालय भारतीय दण्ड संहिता की धारा 172 से धारा 188 तक की धाराओं के(जिनके अंतर्गत यह दोनों धाराएं भी हैं) अधीन दण्डनीय किसी अपराध का अथवा ऐसे अपराध के किसी दुष्प्रेरण या ऐसे अपराध करने के प्रयत्न का अथवा ऐसा अपराध करने के लिए किसी आपराधिक षड्यंत्र का संज्ञान संबद्ध लोक सेवक के या किसी अन्य ऐसे लोकसेवक के जिसके वह प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है, लिखित परिवाद पर ही करेगा अन्यथा नहीं। धारा 171 ई अंसज्ञेय अपराध है। उपरोक्त प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए दोनों धाराओं में परिवाद संज्ञान के समय होना आवश्यक था परन्तु संज्ञान के समय लिखित परिवाद का अभाव था इसी तरह के सिद्धांत **न्यायदृष्टांत बी.एन.जॉन बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य क्रिमिनल अपील एस.एल.पी. क्रिमिनल नंबर 3184/2024,** में निर्धारित किया गया। उक्त न्यायदृष्टांत में धारा 171ई के अधीन अपराध को बिना परिवाद के होने के कारण निरस्त किया गया था इसी तरह **न्यायदृष्टांत म.प्र. राज्य और अन्य बनाम ज्योतिरादित्य सिंधिया 2014 सुप्रीम(एम.पी.100)** के मामले में निर्धारित किया गया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 195(1)(क) के तहत् किसी भी अपराध का संज्ञान लेने से पहले संबंधित लोकसेवक द्वारा लिखित शिकायत अनिवार्य है।

उक्त प्रावधान का पालन न करने पर कार्यवाही प्रारंभ से ही अमान्य हो जाती है। एक अन्य **न्यायदृष्टांत राव उदयप्रताप सिंह विरूद्ध रामपत बरोड़े माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के एम.सी.आर.सी. नं.42774/2024 घोषित दिनांक 17. 01.2025** में भी यह निर्धारित किया गया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 केवल तभी लागू की जा सकती है कि जब किसी लोकसेवक द्वारा लिखित परिवाद प्रस्तुत किया गया हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **न्यायदृष्टांत देवेन्द्र कुमार विरूद्ध द स्टेट(एन.सी.टी. दिल्ली व अन्य) एस.एल. पी. क्रिमिनल क्रमांक 12373/2025 निर्णीत दिनांक 20 अगस्त 2025 के पैरा क्रमांक 43** में यह स्पष्ट किया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 मजिस्ट्रेट को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 172—188 के तहत् अपराधों का संज्ञान लेने से तब तक रोकती है, जब तक कि संबंधित लोकसेवक शिकायत दर्ज ना करें।

19— वर्तमान प्रकरण में घटना दिनांक 23.04.2019 की है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट तीन दिन विलंब के बाद 26.04.2019 को दर्ज कराई गई, विलंब का स्पष्टीकरण अभिलेख पर नहीं है, शिकायतकर्ता का लिखित परिवाद अभिलेख पर नहीं है, जबकि धारा 171 ई का अपराध असंज्ञेय है, असंज्ञेय मामलों में लिखित परिवाद पर ही संज्ञान लिया जा सकता है, धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के लिए लोकसेवक का परिवाद संज्ञान के बाद प्रस्तुत किया गया, परिवादी या उसके हस्ताक्षर पहचानने वाले के कथन नहीं कराए गए, जिन मोबाइल में रिकॉर्डिंग की गई उन्हें प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि वह प्राथमिक साक्ष्य है, मुख्य शिकायतकर्ता प्रदीप सिंह उर्फ दीपू(अ.सा.06) तथा दिलीप कुमार दीपांकर(अ.सा. 03) जिन्होंने घटना की रिकॉर्डिंग की थी वह वोट मांगने के बिन्दु पर एकमत नहीं हैं। बृजमोहन साहू(अ.सा.02) तथा सरोज साहू(अ.सा.04) जिनके घर के सामने सभा आयोजित हुई थी उन्होंने ऐसा कोई कथन नहीं किया कि अभियुक्त ने वोट देने के लिए उत्प्रेरित किया हो, साथ ही स्क्रिप्ट पंचनामा प्र.पी.09 में वोट मांगने का उल्लेख नहीं है, पुलिस द्वारा खात्मा प्रस्तुत किया गया, स्वयं विवेचक रोशनी सिंह ठाकुर (अ.सा.07) ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि साक्ष्य का अभाव था, इस कारण खात्मा प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन ने प्रकरण वापसी हेतु धारा 321 दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा समन मामला होने से धारा 258 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत् कार्यवाही समाप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त तथ्य प्रकरण में अनेक खामियां दर्शित करते हैं, जो अभियोजन के मामले को अविश्वसनीय तथा संदेहास्पद बनाते हैं।

20— उपर्युक्तानुसार की गई साक्ष्य समीक्षा एवं विवेचन के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन अपना पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्त कुंवरसिंह, वर्तमान विधायक धौहनी, जिला—सीधी को भा.द.सं. की धारा 188 एवं 171ई के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

21— अभियुक्त के प्रतिभूति एवं बंधपत्र उन्मोचित किए जाते हैं।

स्थान—जबलपुर
दिनांक—19.12.2025

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

DWARKA PRASAD SUTRAKAR

Digitally signed by DWARKA PRASAD SUTRAKAR
Date: 2025.12.19 17:18:36 +0530

(डी.पी.सूत्रकार)
विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट
(एम.पी. / एम.एल.ए. न्यायालय)
जबलपुर (म0प्र0)